कार्यालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती।

कार्यालय आदेश

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सिविल जज (अ०ख०) (त्वरित न्यायालय)/ जे०एम०, न्यायालय अपर सिविल जज (अ०ख०), श्रावस्ती की क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में पूर्व में पारित समस्त आदेशों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है जो आज की तिथि से प्रभावी होगा-

1- थाना गिलौला से सम्बन्धित समस्त दाण्डिक वाद व नवीन परिवाद (धारा 302, 354 व 304 B भा०द०सं० तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित होने वाले मामलों को छोड़कर) के विचारण एवं पंजीकरण का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को प्रदान किया जाता है।

2- थाना इकौना से सम्बन्धित समस्त प्रकार के परिवाद (धारा 302, 354 व 304 B भा०दं०सं० तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित होने वाले मामलों को छोड़कर) के पंजीकरण एवं विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर सिविल जज (अ०ख०)/जे०एम०, श्रावस्ती को प्रदान किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज की तिथि से पूर्व उनके न्यायालय पर लम्बित अन्य समस्त वादों (धारा 302, 334 व 304 B भा०द०सं० तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित होने वाले मामलों को छोड़कर) के विचारण का क्षेत्राधिकार भी उन्हें प्राप्त होगा।

3- महिला थाना, श्रावस्ती से सम्बन्धित समस्त प्रकार के दाण्डिक वाद (धारा 302, 354 व 304 B भा०द०सं० तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित होने वाले मामलों को छोड़कर) के पंजीकरण एवं विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (अ०ख०) (त्वरित न्यायालय)/ जे०एम०, श्रावस्ती को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त समस्त थानों के घरेलू हिंसा से सम्बन्धित, दहेज उत्पीड़न व महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित (धारा 302, 354 व 304 B भा०दं०सं० तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित होने वाले मामलों को छोड़कर) परिवाद का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (अ०ख०) (त्वरित न्यायालय)/ जे०एम०, श्रावस्ती को प्रदान किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आज की तिथि में जो भी मामले न्यायालय सिविल जज (अ०ख०) (त्वरित न्यायालय)/ जे०एम०, श्रावस्ती पर लम्बित हैं (धारा 302, 354 व 304 8 भा०दं०सं० तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित होने वाले मामलों को छोड़कर) उनके विचारण का भी क्षेत्राधिकार इसी न्यायालय को प्रदान किया जाता है।

तदनुसार सभी सम्बन्धित सूचित हो।

sd/-

दिनांक 18.11.2021

(शीतला प्रसाद)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।